Purva Mimaansa | Refereed | Peer Reviewed
ISSN: 0976-0237 | Volume 13, Issue March 2022 | Impact Factor 4.762

भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थितिः महिला सशक्तिकरण एवम अधिकार

विश्वजीत सिंह
सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, पूण्डरी (कैथल)

सृष्टि के प्रारम्भ नारी और पुरूष का सम्बन्ध समाज का आधार रहा है। युग बहुत तेजी से बदला है, बदल रहा है। युग बदलने के साथ देश में आमूल सांस्कृतिक,सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं। किन्तु जिस गति से देश और समाज बदला है,क्या उसी गति से महिलाओं की स्थिति समाज में बदली है ? कहने को आज समाज में महिलाओं को हर प्रकार के समानाधिकार प्राप्त है, लेकिन आज भी वास्तव में घर और समाज में एक महिला का स्थान पुरूष से बहुत भिन्न है। वह आज भी पुरूष–शासित समाज में रह रही है। वैसे पुरूष और स्त्री में कोई मौलिक असमानता नहीं है। दोनों ही मानव हैं, दोनों का मनस्तत्व एक ही है। मूल रूप से हो सकता है कि स्त्री और पुरूष की प्रकृति और स्वभाव में कुछ थोडा–बहुत अन्तर रहता हो, पर उनके संस्कार और उनकी सामाजिकता एक ही स्तर पर आधारित है। फिर भी वास्तविकता के ठोस धरातल पर स्त्री को वह स्थान नहीं प्राप्त है जो एक पुरूष को है। समाज ने पुरूष को कई विषयों में निर्बाध स्वतन्त्रता दे रखी है जो स्त्री को नहीं मिली हैं। कानून की दृश्टि से अब विद्यान में स्त्री को वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो एक पुरूष को प्राप्त है। फिर भी उन अधिकारों का प्रयोग करने को स्त्री पूर्ण स्वतंत्र नही हैं। उसके स्वतंत्र अस्तित्व को पुरूष प्रधान समाज मन से मान्यता नहीं दे पाता। स्त्रियों के लिए आज समाज काफी बदल गया है, किन्तु फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसे व्यवहार में समान अधिकार प्राप्त नहीं है। स्त्री और पुरूष में कुछ भेद प्राकृतिक है। पर अधिक भेद सामाजिक, व्यवहारिक और रूढ़िगत संस्कारों के हैं–और जब तक इस प्रकार का भेद है, इसे प्रगतिशील परिवर्तन नहीं कहा–माना जा सकता है।

माँ की गोद मिलते ही शिशु का रूदन पता नही कहां चला जाता है। माँ की गोद उसे निश्चिन्त बना देती है, अभय प्रदान करती है, अमृत दुग्ध पिलाकर आनन्द सागर में निमग्न कर देती है। कैसी प्यारी गोद है माँ की! परमात्मा ने जैसा हृदय माँ को दिया है वैसा हृदय और किसी को नहीं दिया और वह माँ कौन है–एक नारी, एक जगदम्बा–ऐसा कहा है स्वामी महात्मा आनन्द सरस्वती जी ने नारी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, यह सृष्टि रचयिता की त्याग, तपस्या, प्रेम और ममता की एक परमपिता की महान रचना है। प्रेम, त्याग, ममता से परिपूर्ण होने के उपरान्त भी वह दुःखों से समझौता कर रही थी और समस्याओं से घिरी हुई थी। नारी की इस संवेदनशील दुःखद और दुर्दशाग्रस्त स्थिति को देखकर एक संवेदनशील कवि ने कहा हैः–

नारी जीवन एक झूले की तरह,

PURVA MIMAANSA

इस पार कभी उस पार कभी।

आँखों में अँसुवन धार कभी,

होठों पर मधुर मुरूकान कभी।।

बहुत से लोग यह समझते हैं कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ है नारी को कमजोर से शक्तिशाली बनाना, यह विचारधारा गलत है। जो स्वयं परमात्मा कर शक्ति का स्वरूपा है–उसको कौन शक्तिशाली बना सकता है? इसके लिए यह सोच ही निम्न है, समझ से बाहर है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि जो नारियों के मूलभूत अधिकार है, यानी सामाजिक व्यवस्था में बराबरी की हिस्सेदारी, वह उसे मिलना चाहिए। और क्यों न मिले जब वह जन्मदात्री है, शुभ चिन्तक है, शक्तिस्वरूपा है। दुनिया में आधी आबादी स्त्रियों की है, अब लिंग भेद के आधार पर कार्यों या अधिकारों का विभाजन नहीं होना चाहिए। यह मेरा मत है, विश्व की सभी नारियों का मत है, महापुरूषों का मत है और उनका आशीष है।

वैदिक काल में नारियों की स्थिति बहुत ही सशक्त थी, नारियां विदुषी थीं, ऋषिकायें थीं। ऋषिका का अर्थ है–मंत्रो का प्रचार करने वाली, मंत्रों को देखने वाली, मंत्रों का भाष्य करने वाली। वह नियमपूर्वक अपने पति के साथ हवन में सम्मलित होती थी, वर तलाश करने में सक्षम थी और यदि कन्या को योग्य वर नहीं मिलता था, तो वह सम्मानपूर्वक अपने पिता के घर रह सकती थी, जीवन पर्यन्त माता की सम्पत्ति की वह बराबर कर हकदार थी। बाल–विवाह, सतीप्रथा जैसी कुप्रथा नहीं थी। गार्गी, मैत्रयी, द्रोपदी, मदालसा, शिवा, झड़ा आदि मनु की पुत्री इड़ा को 'यज्ञान काशिनी' कहा गया है, यज्ञान काशिनी का अर्थ है यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था। मैत्रयर को ब्रहमवादिनी कहा गया है जो वेदों की ज्ञाता है। वेद शास्त्रों में पांच देवताओं कर पूजा लिखी गई है–माता, पिता, आचार्य और अतिथि, अमूर्तिमान पाँचवें देवता परमपिता परमात्मा हैं। सबसे पहला देवता माता को ही पूजनीय बताया गया है। और माता कौन है ? एक नारी। महिला सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति है। महिला के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिला का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। **वैदिक** साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग में नारी का बड़ा समादर था। विवाह का उद्देश्य महज काम–वासना की पूर्ति नहीं, उससे ऊपर पत्नी के साथ मिलकर गृहस्थ–धर्म (यह धर्म ही था, समझौता नहीं) का पालन धर्मानुष्ठान, यज्ञ–सम्पादन और श्रेष्ठ सन्तान की प्राप्ति ही था। घर–गृहस्थी में ही नारी की प्रधानता न थी, स्त्री के बिना कोई धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान सम्पन्न नहीं हो सकता था। ऋग्वैदिक काल के प्रथमार्द्य में स्त्रियां युद्ध द्वारा जीत कर या छीनाझपटी से प्राप्त नहीं की जाती थीं। कन्या का पिता उपयुक्त वर खोजकर (विद्वान ऋषि को प्राथमिकता) सप्तपदी विधि से उसका विवाह–संस्कार करता था।

सृष्टि के प्रारम्भ नारी और पुरूष का सम्बन्ध समाज का आधार रहा है। महिला सशक्तिकरण

एक वैश्विक विषय है। यह सक्रिय, बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो महिलाओं को अपनी पहचान व शक्ति को सभी क्षेत्रों में महसूस करने के योग्य बनाता है। महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा,चिकित्सा, पोषण और कानूनी सभी क्षेत्रों में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत है। महिलाएं जो कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है तथा कुल किये गए कार्य के 2/3 घण्टों तक कार्य करती है तो भी कुल विश्व आय का केवल दसवां भाग ही उनके हिस्से आता है, व एक प्रतिशत से भी कम सम्पत्ति पर ही उनका अधिकार है। यह आर्थिक वितरण विधि द्वारा निर्मित है, जो भारतीय महिलाओं के संदर्भ में भी सत्य है और ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में तो कटु सत्य है। यह कैसी आजादी या बराबरी है ? कारण एक नहीं अनेक हैं फिर भी प्रारम्भिक तौर पर प्रमुख कारण है – अधिकार, सिर्फ अधिकार की गूंज अधिकार और कर्तव्य का संतुलन नहीं, श्रम और योग्यता से अधिकारों का अर्जन नहीं, अधिकारों की मांग या छीना–झपटी, स्त्री–पुरूष में सहयोग नहीं, प्रतिद्वंदिता, प्रकृतिदत्त पूरकता नहीं, मात्र बराबरी। पांच हजार साल के सांस्कृतिक और सामाजिक सफर को तय करते हुए इक्कीसवीं सदी में प्रवेश लेते हैं हम। सामने टैक्नोलॉजी का युग है। विकसित भारत का बदलता हुआ स्वरूपा देखकर हम ठिठके रह गये है।

एक ऐसी दुनिया जिसमें स्त्री–पुरूष के अधिकार समान हों अब हमारी सोच का प्रमुख विषय है। हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल आर्थिक स्थिति बदलते ही पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। यद्यपि मानव विकास क्रम में आर्थिक व्यवस्था एक आधारभूत तत्व है जो व्यक्ति की नियत है किंतु इसके बावजूद नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन की पूरी जरूरत है जिनके बदले बिना नई स्त्री का आविर्भाव सम्भव नहीं होगा।स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया, जिससे नारी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरूआत हुई। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्त्री व पुरूष दोनों को समान रूप से प्राप्त हुए। साथ ही महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया तथा विभिन्न विद्यानों का संशोधन भी किया जाता रहा है। संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन महिलाओं के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रहा है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार को एक बिल '**हिन्दू कोड बिल**' के रूप में प्रस्तुत किया, परन्तु इसे नवीन संविधान के निर्माण तक टालने में अनेक रूढ़िवादी तत्वों को सफलता हासिल हुई। 1950 में नवीन संविधान में स्त्री एवं पुरूषों को समान अधिकार दिये गए परन्तु 'हिन्दु कोड बिल' पर निर्णय उस समय नहीं लिया गया। लेकिन धीरे–धीरे समाज सुधार की आवश्यकता को देखते हुए 'हिन्दु कोड बिल' को खण्ड़ों में विभाजित करते हुए पास किया गया। परिणामस्वरूप सभी परम्परागत निर्योग्यताएं धीरे–धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होती चली गयी और स्त्रियों को विवाह, सम्पति, संरक्षण और विवाह–विच्छेद के क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होने तथा

सामाजिक रूढ़ियों से छुटकारा पाने का अवसर मिला। ऐसे अधिनियमों में 'हिन्दु विवाह अधिनियम 1955', हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; 'हिन्दु नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम 1956'; हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1961 आदि प्रमुख हैं। महिलाओं के अधिकारों हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं एवं महिलाएँ भी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। परन्तु इस सबके बावजूद स्थिति विपरीत बनी हुई है। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में लगातार इजाफा हुआ है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक तौर पर उन्हें शिक्षित किया जाना जरूरी है। दूसरे, आर्थिक स्वतंत्रता; अतः महिलाओं को अनौपचारिक एवं औपचारिक – दोनों क्षेत्रों में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तृतीय, कानून और धर्म के अधीन महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए। धर्म की अक्सर गलत व्याख्या की जाती है और महिलाओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है। चतुर्थ, सरकार के हर स्तर पर (अर्थात राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, पंचायत स्तर) महिलाओं को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों और न्यायाधीशों को पदानुक्रम के सभी स्तरों पर स्त्री–पुरूष समानता की शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे उन्हें महिलाओं के बारे में मौजूदा धारणाओं, मिथकों और घिसे–पिटे नजरिये से अवगत कराया जा सके और यह बताया जा सके कि वे कैसे निष्पक्ष और न्यायसंगत न्याय प्रदान करके हस्तक्षेप कर सकते हैं। दांडिक न्याय प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों को सामान्य तौर पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के स्वरूपा और खास तौर पर महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और दहेज अपराधों के स्वरूप पर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपराध की शिकार महिलाओं, गैर–सरकारी संगठनों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी विधि प्रवर्तन ऐजेंसी और न्यायपालिका द्वारा लैंगिक आधार पर की जाने वाली प्रक्रिया संभवतः दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को घरेलू हिंसा और अपराधों की शिकार महिलाओं के प्रति अधिक जबावदेह और संवेदनशील बनाने में मदद करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पुंज के रूप में उभर रहे है. हमारे सविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए है उन्हें भी प्रमुखता मिल रही है. आज महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर है. हालाकि, मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेश और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई है. ऐसे में महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए।

1. **समान वेतन का अधिकार**– समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी कर हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

2. **काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार**– काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है

3. **नाम न छापने का अधिकार**–यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न कर शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी कर मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है।

4. **घरेलु हिंसा के खिलाफ अधिकार**– ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरूष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

5. **मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार**–मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मां के प्रसव के बाद 12 सप्ती (तीन महीने) तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और वो फिर से काम शुरू कर सकती है।

6. **कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार**– भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उस महिला को उसके मूल अधिकार–'जीने के अधिकार का अनुभव करने दें. गर्भधान और प्रसर्व से पूर्व पहचान करने की तकनीक (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

7. **मुफ्त कानूनी मदद के अधिकार**–बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। स्टेशन हाउस आफिसर(SHO) के लिए ये जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकार (Legal Services Authority) को वकील करने की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे।

8. **रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार**– एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफतार नहीं किया जा सकता, किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है।

9. **गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार**– किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला की दूसरी महिला की उपस्थिती में ही की जानी चाहिए।

10. **संपत्ति पर अधिकार**– हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरूष दोनों का बराबर हक है।

PURVA MIMAANSA

संसद और विधानसभाओं में स्त्रियो के लिए तेंतीस प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, यह बात सैद्वांतिक रूप से भारत के प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने मान ली थी, लेकिन चौदह साल तक वे इस मुद्वे को लटकाते रहे। फिर जब कुछ राजनीतिक कारणों से 2010 में स्त्री आरक्षण विधेयक राज्यसभा में झटपट पास हो जाने पर भी लोकसभा में पास नहीं हो सका, तो स्पष्ट हो गया कि स्त्री आरक्षण का सवाल दरअसल स्त्री सशक्तीकरण के बड़े सवाल से जुड़ा हुआ है और पुरूष वर्चस्व वाली वर्तमान भारतीय राजनीति निहित स्वार्थों के चलते इस सवाल को हल करना ही नहीं चाहती । उसकी यह मंशा स्त्री आरक्षण या स्त्री सशक्तीकरण की बात करते समय बरती जाने वाली भाषा से ही स्पष्ट हो जाती है, जिसमें स्त्रियों को बहलाये रखने के लिए 'स्त्री' की जगह 'महिला' जैसे आदरसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब स्त्रियों के लिए वास्तव में कुछ करने का सवाल आता है, तो तरह–तरह के हीले–हवाले करके सवाल को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाता है, और इसका खमियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है।

सवाल 'स्त्री आरक्षण' का हो या 'स्त्री सशक्तीकरण' का, पहला प्रश्न ही उठाया जाना चाहिए कि हम किस स्त्री की बात कर रहे हैं। क्या इस सवाल को हमें सिर्फ 'जेंडर' की दृष्टि से देखना चाहिए ? या इसमें वर्ग, जाति, स्त्रियों कर आर्थिक–सामाजिक स्थिति–जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़ी और अल्पसंख्यक स्त्रियों की स्थिति–का भी ध्यान रखना चाहिए ? क्या एक स्वर्ण, शहरी, शिक्षित, संपन्न और सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय 'महिला' के सशक्तीकरण का वही अर्थ है, जो एक दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ग्रामीण,गरीब,पिछड़ी, अशिक्षित और ही तरह से पराधीन 'स्त्री' के सशक्तीकरण का ? हमारे देश मे स्त्री सशक्तीकरण के लिए जो नीतियाँ बनायी जाती हैं, उनके पीछे मुख्य रूपा से तीन अवधारणाएँ काम करती हैं–'वेलफयर' (कल्याण), 'डेवलपमेंट' (विकास) और 'एपाँवरमेंट' (सशक्तीकरण) की। यानी स्त्रियों के कल्याण के लिए क्या किया जाये,उनके विकास के लिए क्या किया जाये, उनके सशक्तीकरण के लिए क्या किया जाये। लेकिन इस सिलसिले में कई जरूरी सवाल उठते है। मसलन, वे कौन सी नीतियाँ हैं, जिनसे गरीब, ग्रामीण, पिछडी, अशिक्षित, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक स्त्रियों का वास्तव में कल्याण, विकास और सशक्तीकरण होता है ? और, इन नीतियाँ को व्यावहारिक रूप में कितना और किस प्रकार अमल में लाया जाता है ? स्त्रियों के कल्याण की बात हो, विकास की, या सशक्तीकरण की–ऐसा लगता है कि ये राज्य द्वारा किये जाने वाले और उसी के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किये जाने वाले कार्य हैं। ठीक वैसे ही, जैसे विकसीत देशों ने विकासशील देशों पर विकास का एक पूँजीवादी मॉडल थोप दिया है और बता दिया है कि तुम्हारे विकास का यही एक रास्ता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या अमीर देशों ने गरीब देशों से कभी यह पूछा कि तुम अपना विकास किस तरह करना चाहते हो ? इसी तरह क्या भारतीय सरकार ने कभी भारतीय स्त्रियों से पूछा कि तुम अपना सशक्तीकरण कैसे और किस रूपा में करना चाहती हो?

PURVA MIMAANSA

हमारे विचार से स्त्रियों का सशक्तीकरण राज्य के द्वारा और केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है और उस आंदोलन का नेतृत्व स्त्रियों को ही करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि एक सही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वाला आंदोलन खड़ा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ? इसके अतिरिक्त निजी कानूनों के भीतर जिन मुद्धों पर सुधार किया जा सकता है उनके विषय पर एक सहमति बने इससे सरकार और समुदाय के नेताओं पर महिला अधिकारों की रूपरेखा मानने के लिए दबाव पडेगा।

संदर्भ ग्रन्थ

कमला सिंघवी : 'नारी भीतर और बाहर', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1972 पृ. 9.

रोमी शर्मा, ''भारतीय महिलाएः नई दिशाएं'', सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली 2002. पृ. 1.

भारत का संविधान, अनुच्छेद 15.

साधना आर्य, निवेदता मेनन, जिनी लोकनीता'' नारीवादी राजनीति, दिल्ली विश्वविद्यालय,2010, पृ. 311.

भारत का संविधान, अनुच्छेद 16. सूरजभान कटारिया,' दलितों के मसीहा डा.भीमराव अंबेडकर' पंजाब केसरी, पृ. 4 दिसंबर 2015

सुभाशिनी सहगल अली 'अंबेडकर के आर्दशों से दूर' उमर उजाला, पृ 5 दिसंबर 2015.

PURVA MIMAANSA